1·6

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :—

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सेल, तड़ेमियां
तहसील मुनाकोट, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मड़मा–सेल से सेतगाट परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 6.790 हे0 सिविल सोयम भूमि...... हे0, वन पंचायत भूमि 0.0 हे0) अर्थात कुल 6.790 हे0 वन भूमि का ——————— विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सेल, तड़ेमियां द्वारा दिनांक 28/10/14 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सेल, तड़ेमियां के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सि0खं0लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
क्षेत्र..........
वि0ख0 :- मूनाकोट
पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

ग्राम पंचायत तड़ेमियां प्रधान वि0ख0 मूनाकोट (पिथौरागढ़)

ह0 / ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सेल प्रधान वि0ख0 मूनाकोट

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–23.1

दिनांक 28/9/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सेल / तडेग्निया

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	महेश चन्द्र सुतेड़ी ग्राम - सेल	[signature]
2-	मोहन सिंह धनाड़ी ग्राम - सेल	MBDhami
3-	हीरा राम ग्राम - सेल	हीरा राम
4-	राजेन्द्र प्रसाद ग्राम - सेल	राजेन्द्र प्रसाद
5-	मनोज राम ग्राम - सेल	मनोज राम
6-	केशर सिंह ग्राम - सेल	केशर सिंह
7-	रणजीत सिंह ग्राम - सेल	रणजीत सिंह
8-	रविन्द्र चन्द ग्राम - सेल	[signature]
9-	मनोज सिंह ग्राम - सेल	मनोज सिंह
10-	हजारी राम ग्राम - सेल	हजारी राम
11-	नरी राम ग्राम - सेल	नरी राम
12-	जीवन सिंह ग्राम - सेल	JSamant
13-	मोहन सिंह सामन्त ग्राम - तडेग्नियाँ	[signature]
14-	शेर सिंह सामन्त ग्राम - तडेग्नियाँ	शेर सिंह
15-	चन्द्र सिंह ग्राम - तडेग्नियाँ	चन्द्र सिंह
16-	संकर राम ग्राम - तडेग्नियाँ	सकर राम
17-	बजीर राम ग्राम - तडेग्नियाँ	वजीर राम
18-	ईश्वर चन्द ग्राम - तडेग्नियाँ	ईश्वर चन्द
19-	विक्रम चन्द ग्राम - तडेग्नियाँ	विक्रम चन्द
20-	प्रकाश सिंह ग्राम तडेग्नियाँ	PSingh

ह0/–
ग्राम प्रधान

[Stamp: ग्राम पंचायत तडेग्निया ... वि0ख0 मुनाकोट (पिथौरागढ़)] [signature]

[Stamp: ग्राम पंचायत सेल प्रधान वि0ख0 मुनाकोट] [signature]

1·6

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :–

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ____________

उपखण्ड मुनाकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत सल्मा-सेल से रौतगढ़ ____________ (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 6.790 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 6.790 हे0 वन भूमि) का सि0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 19/2/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनुराग आर्या, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अनुराग आर्या –उपजिलाधिकारी ____________ –अध्यक्ष

2– श्री अनिल कुमार –उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट ____________ –सदस्य

3– श्री [illegible] –सहायक समाज कल्याण अधिकारी ____________ सदस्य / सचिव

4– श्रीमती हेमा देवी (सेल) अर्जुनचन्द (तड़ेमियां) –बी0डी0सी0 क्षेत्र सेल, ____________ –सदस्य

सदस्य क्षेत्र पंचायत तड़ेमियां वि0 ख0 मूनाकोट

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

सल्मा-सेल से रौतगढ़ ____________ परियोजना हेतु 6.790 हे0 वन भूमि सिंचाई खण्ड (लो0 नि0 वि0) पिथौरागढ़ ____________ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1·6

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मुनाकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत सल्ला – ओल से रौतगड़ा परियोजना के निर्माण हेतु 6.790 हे० हे0 वन भूमि ....प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Sub. Divisional Officer
Didihat
Pithoragarh Forest Divi.

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सल्ला –सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग (8.050 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
जिलास्तरीय स्तरीय समिति –पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अर्न्तगत सल्ला –सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग (0.995 है0 नाप भूमि, 6.790 सिविल एंव सोयम वन भूमि, 0.00 हे0 आरक्षित वन, अर्थात कुल 6.79 हे0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–पिथौरागढ़) की दिनॉक 19/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एच0सी0सेमवाल जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

1–श्री एच0सी0सेमवाल, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
2–डॉ0 इन्द्रपाल सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
3–श्री श्याम लाल आर्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव
4–श्री ~~स्मी~~ लीलावती देवी ....सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र 29 मर्सोली भाट (बड़ारे) सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सल्ला –सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग परियोजना हेतु 6.790 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही हैं। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा एंव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

जिलाधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र
अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य/सचिव	सदस्य
जिलाधिकारी पिथौरागढ़	प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़	जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़	श्रीमती लीलावती देवी सदस्य जिला पंचायत 29 मर्सोली भाट(बड़ारे) पिथौरागढ़(उत्तराखण्ड)

1·6

<u>प्रपत्र–23.3</u>

परियोजना का नाम :–**जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सल्ला – सैल से रौतगढ मोटर मार्ग (8.050कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

<u>जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र</u>

जनपद –. पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित **सल्ला –सैल से रौतगढ मोटर मार्ग (8.050कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु 6.790 हे0 वनभूमि सिंचाई खण्ड,लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/ अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति पिथौरागढ़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/–
जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

नोट :– उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।
सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण–पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–22

परियोजना का नाम :– **जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड– मूनाकोट, सल्ला सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग (8.050 किमी0) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण –पत्र

जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत प्रस्तावित **सल्ला सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग (8.050 किमी0)** मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 7.785 है0 भूमि प्रस्तावित है। जिसमें वन पंचायत एवं सिविल सोयम वन भूमि 6.790 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2013 के द्वारा सडक निर्माण नहर निर्माण पारेसण लाईन ओ0एफ0सी0 केविल पाइप लाइन विछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural tribal Groups)प्रभावित नहीं हो रहा है।

तहसीलदार
पिथौरागढ़

(सुरेश गिरी)
राजस्व उप निरीक्षक
तहसील एवं जिला पिथौरागढ़

ह0/–
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

Name of Work :- Construction of Salla-Sail to Rautgarha Motor Road (8.050 Km) under PMGSY in Pithoragarh district.

Annexure-1

FORM – 1
Government of Uttarakhand
Office of the District collector : Pithoragarh

No.

Date :

To Whomsoever it May Concern

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's Letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 6.790 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Salla-Sail to Rautgarha Motor Road (8.050 Km) under PMGSY in Pithoragarh district falls with in jurisdiction of Sail, Taremiya & Rautgarha village's in Pithoragarh Tehsil.

It is further certified that :

S.No.		Remarks
1	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.790 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure ____ to _____.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.
2	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to it.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
3	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.

Encl.- As above.

Signature
(District Collector)
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़